Through email
1-9-2023

संख्याःएसजीएसबी–2017–Vol-IV-Registration 782-793
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग
राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय परिसर, शिमला–1

प्रेषकः

निदेशक, (पशु पालन) एवं सदस्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग, शिमला–1.

प्रेषितः

समस्त उप–निदेशक,
पशु स्वास्थ्य/प्रजनन
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–1 31st अगस्त, 2023

विषयः– गौसेवा आयोग से गौसदन पंजीकरण करने व निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करवाने बारे दिशा निर्देशानुसार।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के संदर्भ आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र सम संख्या दिनांक 18.7.2022 के प्रसंग को जारी रखते हुए आपको निर्देश दिए जाते है कि आपके कार्यालय द्वारा जब भी गौसेवा आयोग को पंजीकरण व निर्माण बारे दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है तो वह पूर्ण रूप से भरे हो तथा दस्तावेजो की जांच उपरान्त निम्नानुसार पग उठायेः–

1. गौ अभ्यारण्य/गौसदन पंजीकरण हेतु भूमि का स्वामित्व स्पष्ट हो, भूमि कनाल, बीघा, हैक्टेयर में वर्णित हो, भूमि का नवीनतम ततीमा पर्चा होना आवश्यक है, जो भूमि विभाग के नाम हस्तानांतरित हुई है उसका इन्तकाल विभाग के नाम होना भी आवश्यक है इसके अतिरिक्त पंजीकरण आवेदन पत्र के समस्त कॉलम पूर्ण भरे होने चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें की क्या भूमि गौसदन निर्माण के लिए उपयुक्त है।
2. भूमि सरकार द्वारा आबंटित या संस्था द्वारा कम से कम 25 वर्षो या उससे अधिक वर्षो तक लीज में ली गई हो, लीज पर ली गई भूमि बैंक से कर मुक्त तथा भूमि के अन्य हिस्सेदारो के NOC भी संलग्न हो अगर भूमि किसी सरकारी विभाग की हो तो उस विभाग का NOC भी आवश्यक है।
3. जहाँ पर गौसदन का निर्माण होना हो उस सम्बन्धित पंचायत/नगर परिषद/निगम का NOC आवश्यक है व संस्था द्वारा यह शपथ पर देना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा नही किया है।
4. संस्था द्वारा संचालित गौसदनों के नियम अधिनियम की प्रति जिसमें यह भी दर्शाया गया हो कि संस्था प्रदेश में बेसहारा गौवंश के लिए कार्य कर रही है।
5. मामला बैंक ड्राफ्ट की तिथि जांच कर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, क्योंकि उसकी वैधता केवल 3 माह तक ही वैध होती है। पंजीकरण हेतु मु0 500 रूपये का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, (पशु पालन) एवं सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग, शिमला–1 के नाम से ही बनाया जाए।

6. जब भी प्राक्कलन तैयार करवाये जाए तो वह सम्बन्धित विभाग/एजेंसी के अधिशाषी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है तथा प्राक्कलन की दो प्रतियां गौसेवा आयोग को प्रस्तुत करवाना आवश्यक है।

7. बडे सरकारी गौसदनों/गौ अभ्यारण्यों की परियोजना रिर्पोट/प्राक्कलन तैयार करवाते समय समस्त कार्य एक ही बार परियोजना रिर्पोट में दर्शाए जाना आवश्यक है बार–2 निर्माण कार्य बारे एजेंसी नही बदली जाएगी।

8. नए गौसदनो के निर्माण हेतु आयोग के पास केवल मु0 10.00 लाख रूपये या प्राक्कलन का 50 प्रतिशत जो भी कम हो का ही प्रावधान है ,तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए की सहायता उपलब्ध करवाने से पहले गौसदन का पंजीकरण गौसेवा आयोग से करवाना आवश्यक है। प्राक्कलन केवल उतनी ही राशि के गौ शैड निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा यह भी दर्शाया जाए की गौसदन में निर्माण उपरान्त कितने बेसहारा गौवंश को आश्रय उपलब्ध करवाया जाऐगा।

9. गौसदन विस्तार हेतु आयोग के पास पहले से बने गौसदनों के विस्तारीकरण हेतु केवल मु0 5.00 लाख रूपये का प्रावधान इस शर्त पर है कि संस्था गौसदन विस्तार उपरान्त गौसदन में 25 या इससे अधिक अतिरिक्त बेसहारा गौवंश को आश्रय देगी, जिस बारे संस्था को शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।

10. गौसदन निर्माण के मामले भेजते समय पहले उस गौसदन निर्माण की औचित्य रिर्पोट जैसे भूमि गौसदन निर्माण हेतू उचित है, गौसदन में बिजली, पानी, रोड की उचित व्यवस्था है इसमें पानी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्राक्कलन में इसके लिए भी प्रावधान किया जाए।

11. यह भी सुनिश्चित करें कि गौसदन का निर्माण कार्य नदियों/नालो के समीप न हो ताकि बाढ़ इत्यादि से कोई खतरा उत्पन्न नही हो सके का जिक्र भी अपनी विस्तृत टिप्पणी में प्रस्तुत किया जाऐ।

अतः आप सभी को पुनः निर्देश दिए जाते है कि गौसेवा आयोग के दिशा निर्देशानुसार ही पंजीकरण व सहायता उपलब्ध करवाने बारे मामले पूर्ण दस्तावेजों की जांच उपरान्त प्रस्तुत किए जाए। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि सरकार से अनुमोदित गौसेवा आयोग से पंजीकरण बारे नये आवेदन पत्रो व गौ अभ्यारण्यों निर्माण का नक्शे को गौसेवा आयोग की Website:- hpgauseva.org से Dowanload किया जाए, तथा भविष्य में पंजीकरण के मामले नए आवेदन अनुसार ही प्रस्तुत किए जाए।

31/8/23

निदेशक, (पशु पालन) एवं सदस्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग, शिमला–1.